# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1244/2024**

हनीश खान **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, लाइब्रेरी एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 05.03.2024

**आदेश की दिनांक** : 28.03.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री इलियास खान, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुदीक बसेडी, धौलपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 11.11.2012 को हुई थी और उसे जिला पाली पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की पुत्री भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 27.09.2018 के द्वारा चयनित की गई और उसे श्यामपुरा, मोहनपुरा, बस्सी, जयपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी (पति एवं पत्नी) दोनो राजकीय सेवा में कार्यरत होते हुये भी उन्हें एक ही जिले में

पदस्थापित नहीं किया गया। अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 18.03.2021 के द्वारा चयनित किया गया और उसे मुदीक बसेडी, धौलपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की दो छोटे–छोटे बच्चे हैं और जिनकी देखभाल अपीलार्थी को करनी पडती है फिर भी अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी का पदस्थापन अलग–अलग जिले में किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी के पिता भी अध्यापक के पद पर हैं, जो जिला भरतपुर में पदस्थापित हैं। इस प्रकार परिवार में सभी सदस्य अलग–अलग जिले में पदस्थापित हैं, जिससे बच्चों की देखभाल एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिला जयपुर के अंदर रिक्त पदों को दर्शाया गया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन में दर्शाये गये रिक्त पदो में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापन करते हुये अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुदीक बसेडी, धौलपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण विभाग द्वारा नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–7 के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में दर्शाये गये रिक्त पदों में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापन के संबंध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया

अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**